

फर्द अहकाम

बनाम

उपखण्ड अधिमरी चाइडू

72/23

पक्ष या पक्षी	अज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>कुछी गैरि वास्ते आदेशा दिनांक 22/3/24 को पेश की।</p> <p>36 उपखण्ड अधिमरी उपखण्ड, चाइडू (प.सु.)</p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>2/3/24</p>	<p>पहावली वास्ते आदेशा पेश हुई। पार्सी के पार्थना-पत्र एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर पार्सी का पार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 सु- राजाय अधिनियम बाबत लीमाफेद कायम किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है।</p> <p>विस्तृत आदेश पृष्ठ ले भिखवाया जाकर इस आदेश का अमिन्न भाग रहेगा।</p> <p>पहावली फौजल शुमार दोकर दर्ज नम्बर लेकम ही।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिमरी उपखण्ड, चाइडू (प.सु.)</p>	

स

2